



College Code 077

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,

DR. K.N. MODI INSTITUTE OF ENGG. & TECHNOLOGY, GHAZIABAD

DELHI-MEERUT ROAD, OPP. SBI MAIN BRANCH, Ghaziabad

विरह शैक्षिक सत्र 2021-22 की अस्थायी सम्मति (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।

गौरव/श्रीमान्,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, कार्पोरी कार्डिनल आर इण्डिया नई दिल्ली एवं कार्डिनल आर ऑफिसियर, नई दिल्ली (यथा लागू) के द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आपके संस्थान को प्रदान की गयी मान्यता पर दिल्लीविद्यालय सम्मति समिति/उ0प्र0 शासन की सम्मति लगी है। समिति द्वारा विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के क्रम में शासन के अनुमोदनापरान्त विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अर्थात् मा0 कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नांकित विरह के अनुसार स्थापित विहित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अस्थाई सम्मति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTE Sanctioned Intake	COA/PCI Sanctioned Intake	Affiliation Intake Approved
Bachelor of Technology	Chemical Engineering	Shift I	30	30	0	26
Bachelor of Technology	Civil Engineering	Shift I	60	60	0	51
Bachelor of Technology	Computer Science and Engineering	Shift I	120	120	0	102
Bachelor of Technology	Electrical Engineering	Shift I	60	60	0	51
Bachelor of Technology	Electronics and Communication Engineering	Shift I	60	60	0	51
Bachelor of Technology	Information Technology	Shift I	60	30	0	30
Bachelor of Technology	Mechanical Engineering	Shift I	120	120	0	102
Masters of Business Administration	MBA	Shift I	60	60	0	51

उपरोक्त अस्थायी सम्मति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, मकान, अवस्थापन सुविधाएं, माध्यम हेतु निर्धारित पठन-पुस्तक/साधन, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फौजदारी अनुदान, शिक्षण विधायक तथा मानकानुसार फौजदारी की न्यूनता को ठीक तरह से अन्वयित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदान अस्थाई सम्मति स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धकों का होगा।
- निरीक्षण समिति द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं संयोजित शिक्षकों के सम्बन्ध में संस्था-साथ संस्थान के द्वारा का अधिक भी विश्वविद्यालय द्वारा किया भी समझा जा सकता है।
- टी.कॉर्स/एल.कॉर्स/सी.आर.के./एन.डॉक्ट. माध्यम संभालित करने वाले संस्थानों को कार्पोरी कार्डिनल आर इण्डिया/कार्डिनल आर ऑफिसियर (यथा लागू) के द्वारा माध्यम-संग्रहण हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति एवं संभालित कार्डिनल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन की प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा न करने की दशा में एवं अपात्रित एवं पी.सी.आई./सी.ओ.ए. (यथा लागू) के द्वारा अनुमोदन परेश कनता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को प्रदान अस्थाई सम्मति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धकों का होगा।
- संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0 द्वारा प्रवेश/सुनने के

- सम्बन्ध में समय समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुमान की ही प्रवृत्ति छात्रों से लेना। साथ ही, संस्थान शिक्षा-प्रशासन से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा माँहिए सूचना उन्हें समय से उपलब्ध करावेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अवस्थाओं में वैकल्पिक रूप से सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को लागू करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता सम्बन्धी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के सञ्चालन में आती है तो संस्था को प्रस्तावित सम्बद्धता स्था: निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
 6. विश्वविद्यालय में प्रवर्तित राष्ट्रीय प्रविधिक शिक्षाविद्यालय के प्रथम विनियम 2019 के अध्याय-8 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्रावधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
 7. संस्थान 30 सितम्बर, 2021 के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उल्लेखित अनुभव प्रदेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों को अनुकूल अपेक्षित संस्था में, निर्धारित अर्थात् वास्तव शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। साथ ही, इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से सम्बन्धित वास्तव अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा एवं इस अवसर पर नोटिसाईज्ड समझ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संस्था में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र स्थापन में कोई त्रुटि, कूट रचना/विचलित रायी जाती है तो संस्थान को प्रकृत अपेक्षित सम्बद्धता स्वत: निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
 8. कतिपय संस्थाओं में प्रवेश अम्ता में अभिवृद्धि/नवीन पाठ्यक्रम प्राप्त करने की स्वीकृति इस बात को साथ प्रदान की गयी है कि ऐसे संस्थानों का विश्वविद्यालय द्वारा मानकानुसार, उपस्थापना एवं मान्य संसाधन इत्यादि सुविधाओं का स्थानीय निर्वाहान कार्यालय द्वारा प्राप्त होने से पूर्व आवश्यकतानुसार कराया जा सकता है तथा निर्धारण दल की अनुमति के क्रम में ही सत्र 2021-22 में प्रवेश की कार्यवाही सम्पन्न करायी जा सकेगी।
 9. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की तिथि से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद भर घबान की कार्यवाही पूर्ण कर निरूपित कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपर्युक्त करायें। (विनियम: 8.15)
 10. सत्र 2021-22 के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थान विश्वविद्यालय को कार्यरत शिक्षकों के संख्या में ही गयी सूची में उल्लिखित किसी भी शिक्षक को सत्र के दौरान बिना विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के सेवा से निकाला नहीं जा सकेगा।
 11. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को उपर्युक्त सूचित करें। (विनियम: 8.16)
 12. शैक्षिक एवं शिक्षणोपर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (विनियम: 8.25बी.)
 13. हीर एवं कसक कमरफोनों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 8.13)
 14. संस्थान की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 8.12)
 15. संस्थान द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य प्रकाश की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध पेशोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
 16. अधिक राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की प्रसा में सम्बद्धता का सत्र अनुमोदन स्वत: निरस्त हो जायेगा।
 17. फार्मों तथा आर्किटेक्चर की विधाओं के शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं को इन विधाओं के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित आवश्यक नियामक संचालन फार्मों काउंसिल आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर काउंसिल आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर (संस्था नाम) से सत्र 2021-22 हेतु मान्यता का अनुमति पत्र, प्रवेश हेतु आइडल की जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की कार्यालय के पूर्व विश्वविद्यालय को अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराया होगा। मान्यता आवेदन उपर्युक्त करने की प्रसा में संस्थाओं को प्रकृत अपेक्षित सम्बद्धता स्वत: निरस्त समझी जायेगी। संस्थान मान्यता प्राप्त न होने की प्रसा में फार्मों तथा वास्तविकता के समस्त पाठ्यक्रमों में संस्थान सत्र 2021-22 में किसी भी तय पाठ को पाठ्यक्रम विरोध में न तो काउंसिलिंग और न ही अपने स्तर से सीधे रिक्त सीट या प्रत्यक्षीय सीट पर प्रवेश दे सकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा।
 18. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उचित औचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिकोण सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
 19. जिन संस्थानों की उभारविधि एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सापेक्ष में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निर्वाहान उधम जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता, तत्कालीन ही के अधीन होगी।
 20. संस्थान द्वारा प्रदेश में कस्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थाओं में प्रदेश (अनुरूपित जातियों/अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाते/जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के शासनदेश के व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने की स्थिति में, सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
 21. विभिन्न संघों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न शासनदेशों/अवस्थाओं का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि, संस्थान द्वारा इन अवस्थाओं को अवहेलना की जाती है तो उक्त स्थिति में उक्त

सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

22. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नम्रप्रेक्षित/अन्यथागत छात्रों से बर्ही हटकर लिया जाए जो शूलक निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शूलक/डिनेशन लेने की शिफारश पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को "Black List" करने की कार्यवाही की जायेगी।
23. AMS (Academic Monitoring System) के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या उ990प्रा0वि0/कृत0 का0/2014/4414-21 दिनांक 11.07.2014 के अनुपालन की जगिनायता होनी।
24. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी जर्जों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को दिग्गं गये प्राथिकों का बालग सुनिश्चित करवाना, संस्थान का दुरित्त होना। संस्थान का यह दुरित्त होना कि यह शिक्षक अथवा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। कर्तौपय कारणोंपरा यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
25. विगत शैक्षिक सत्र में मादुयक्रनों में दर्जीकृत छात्रों की न्यून संख्या, मानकनुसार अपेक्षित संख्या में न्यून संख्या में कमलक्ष आई शिक्षकों एवं पजीकृत छात्रों के न्यूनतर परीक्षा परिणाम के कारण कतिनय संस्थानों की दर्जीकृत प्रदेश कसता का एक निश्चित प्रतिशत का सम्बद्धन सत्र 2021-22 हेतु स्थगित रखा गया है। आगामी सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता जारी करने के पूर्व इन्हें पूर्णजीवित करने या संशोधित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा शर्तीया की जायेगी।
26. मादुयक्रन विशेष में सम्बद्धता की दलित कसता की गणना सम्बद्धता दिक्पण की तलिक के रतथ 3 या 8 (पथा लागू) को घटा कर द्वारा की जा तलनी है।
27. शासन/विश्वविद्यालय द्वारा कोविड-19 गहनारी के दुरित्तगत जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को शपथ पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 2021 परलुत किया जाएगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में रिचलन अथवा संस्था में औद्यक निर्माण में किसी प्रकार की कसियां पानी जाने की सिक्ति में संस्था की अरुध्दाई सम्बद्धता रपतः निरस्त रसम्डी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।


(आनंद कुमार सिंह)
कुलसचिव

मुद्रांकन संख्या न दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. उपर मुख्य सचिव, ना0 कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ
2. सचिव, प्राथिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, आरिधल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. निदेशक, राजज कल्पण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. गाड फाइल।